रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112020-222952 CG-DL-E-04112020-222952

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564] No. 564] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2020/कार्तिक 13, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2020/KARTIKA 13, 1942

### संचार मंत्रालय

(दूर संचार विभाग)

(महानियंत्रक संचार लेखा)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 688(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूर संचार विभाग, दूरसंचार लेखा (अवर श्रेणी लिपिक, किनष्ठ लेखाकार और विरिष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम 1988, जहां वह किनष्ठ लेखाकार के पदों से सम्बंधित है, के अधिक्रमण में, इस अधिक्रमण से पूर्व किये गए कार्यों अथवा करने के लिए लोप किये गए कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा दूरसंचार विभाग में किनष्ठ लेखाकार के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं. नामतः –

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.—(1) ये सेवा नियम दूर संचार विभाग के कार्यालयों (महानियंत्रक संचार लेखा/प्रधान नियंत्रक संचार लेखा/नियंत्रक संचार लेखा/संयुक्त नियंत्रक संचार लेखा (अंडमान और निकोबार व उत्तर पूर्व द्वितीय)/राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान) में कनिष्ठ लेखाकार पद भर्ती नियम, 2020 के लिए लागू होंगे।
  - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पद, संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे सम्बंधित वेतन स्तर और वेतन मैट्रिक्स, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

5386 GI/2020 (1)

- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अहर्ताएं आदि.**—इस पद की भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अहर्ताएं तथा इससे सम्बंधित अन्य मामले, उक्त अनुसूची के कॉलम (5)से (13) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।
- 4. निर्हरता.—कोई ऐसा व्यक्ति :-
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करना तय किया है जिसकी पत्नि या पति जीवित है या ;
- (ख) जिसने पत्नी या पति के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करना तय किया है : उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो, कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत क़ानून के तहत अनुमत है और यह कि ऐसा विवाह करने के अन्य आधार है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के सम्बन्ध में इस नियम को लागू करने से छूट दे सकती है।

- **5 शिथिल करने की शक्ति.**—यदि केंद्र सरकार का यह मत है कि ऐसा करना अनिवार्य है अथवा व्यावहारिक है तो वह इसके कारणों को लिखित में दर्ज करके, आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा किसी वर्ग के सन्दर्भ में इन नियमो के किसी प्रावधान को शिथिल कर सकती है।
- 6 अपवाद.—इन नियमों की कोई बात, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को प्रदान किये जाने वाले आरक्षण आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेंगे।

# अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ लेखाकार	215 * (2020) *कार्यभार की घट- बढ़ के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केंद्रीय सेवा श्रेणी "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स की वेतन स्तर - 5 (रुपए 29,200- 92,300)	अचयन पद	18 से 27 वर्ष के मध्य (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्षो तक छूट) उन नियमों के तहत जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाते हैं।  टिप्पणी - निर्णायक तिथि को निर्धारित करने के लिए आयु सीमा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित की जाएगी।

सीधे भर्ती के लिए	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा की अवधि,	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा
आवश्यक शैक्षिक	निर्धारित आयु एवं शैक्षिक	यदि कोई हो ।	या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
और अन्य योग्यता	अर्हताए  पदोन्नत होने वाले		पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की
	कर्मचारियों के लिए लागू होगी।		प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
मान्यताप्राप्त	नहीं	सीधी भर्ती की स्थिति	(1) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती कर्मचारी चयन
विश्वविद्यालय से		में दो वर्ष	आयोग द्वारा ।
स्नातक डिग्री ।			(2) 20 प्रतिशत पदोन्नति वरिष्ठता और योग्यता के
			आधार पर अवर श्रेणी लिपिक (संचार लेखा)
			जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 2 (रुपए
			19,900-63,200) में  पांच वर्ष की निरंतर सेवा
			प्रदान की हो ।

		(3) 20 प्रतिशत भर्ती सीमित विभागीय प्रतियोगी
	τ	परीक्षा द्वारा अवर श्रेणी लिपिक (संचार
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	लेखा) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 2 (रुपए
		19,900-63,200) में तीन वर्ष की निरंतर सेवा
	7	प्रदान की हो ।

प्रोन्नति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमे भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
जैसा कॉलम 10 के (i) और (ii) में उल्लिखित है	समूह "ग" विभागीय पदोन्नित सिमिति (पदोन्नित के लिए निम्न सदस्य होंगे)  (1) संयुक्त महानियंत्रक संचार लेखा नियंत्रक संचार लेखा उप महानिदेशक (राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान) उप महानिदेशक (संचार विभाग मुख्यालय) - चेयरमैन  (2) कनिष्ठ प्रशासन क्रम स्तर पर प्रशासन का अधिकारी सदस्य  (3) सहायक महा नियंत्रक संचार लेखा उप नियंत्रक संचार लेखा उप निदंशक (राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान) सहायक महानिदेशक (संचार विभाग मुख्यालय) - सदस्य  समूह "ग" विभागीय पदोन्नित सिमिति (स्थायीकरण के लिए निम्न सदस्य होंगे)	लागू नहीं
	<ul> <li>1) संयुक्त महानियंत्रक संचार लेखा नियंत्रक संचार लेखा उप महानिदेशक (राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान) उप महानिदेशक (संचार विभाग मुख्यालय) - चेयरमैन</li> <li>(2) कनिष्ठ प्रशासन क्रम स्तर पर प्रशासन का अधिकारी सदस्य</li> <li>(3) सहायक महा नियंत्रक संचार लेखा उप नियंत्रक संचार लेखा उप निदेशक (राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान) सहायक महानिदेशक (संचार विभाग मुख्यालय) - सदस्य</li> </ul>	

[फा. सं. 25-10-2018/एडमिन-V]

संजय कुमार, संयुक्त महा नियंत्रक संचार लेखा, समन्वय एवं प्रशासन

### MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(CONTROLLER GENERAL OF COMMUNICATION ACCOUNTS)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th November, 2020

**G.S.R. 688(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Telecommunications, Telecommunications Accounts (Lower Division Clerk, Junior Accountants and Senior Accountants) Recruitment Rules, 1988, in so far as it relates to the post of Junior Accountant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Accountant, in the Department of Telecommunications, namely:-

- **1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Communication, Department of Telecommunications, Junior Accountant Recruitment Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of posts, classification and Level in the pay matrix** The number of posts, its classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.— No person:-
  - (a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- **6. Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix	Whether Selection post or Non- selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Accountant.	215* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- "C", Non- Gazetted, Ministerial.	Level 5 in pay matrix (Rs. 29,200 - 92,300)	Non-Selection	Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government from time to time).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Bachelor's degree from a recognized university.	No	Two years in case of direct recruits.	(i) 60% by direct recruitment through Staff Selection Commission.  (ii) 20 % by promotion on the basis of Seniority Cum Fitness from Lower Division Clerks (Telecom Accounts) in level of 2 (Rs. 19,900-63,200) in pay matrix with five years of regular service in the grade.  (iii) 20% through a limited departmental competitive examination from Lower Division Clerks (Telecom Accounts) in level of 2 (Rs. 19,900-63,200) in pay matrix with three years of regular service. In the grade.

In Case of recruitment by promotion or absorption, Grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
As stated in items (ii) and (iii) of column 10.	Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of:-  (1) Joint Controller General of Communication Accounts/Controller of Communication Accounts/Deputy Director General (National Institute of Communication Finance)/Deputy Director General (Department of Telecom Headquarter) - Chairman.;  (2) Junior Administrative Grade-level officer in charge of Administration - Member,  (3) Assistant Controller General of Communication Accounts/Deputy Controller of Communication Accounts/Deputy Director (National Institute of Communication Finance)/Assistant Director General (Department of Telecom Headquarter) - Member  Group "C" Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of;  (1) Joint Controller General of Communication Accounts/Controller of Communication Accounts/Deputy Director General (National Institute of Communication Finance)/Deputy Director General (Department of Telecom Headquarter) - Chairman;  (2) Junior Administrative Grade-level officer in charge of Administration - Member;	Not Applicable

6	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]
	(3) Assistant Controller General of Communication Accounts/	
	Deputy Controller of Communication Accounts/Deputy	
	Director (National Institute of Communication Finance)/	
	Assistant Director General (Department of Telecom	

Headquarter)

[F. No. 25-10-2018/Admin-V]

SANJAY KUMAR, Jt. CGCA, Coordination and Administration

- Member